पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/20-21/07 दिनांक :13.08.2020

सेवा में,
श्रीमती कुसुम लता
पत्नी श्री सुरेश पाल
ग्राम – तुलरीपुर, ब्लाक-शेरगढ़
तहसील-बहेड़ी, पोस्ट – चठिया
जिला- बरेली, पिन -243203
मो०- 9412 604 352

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक कुछ नहीं के संबंध में

महोदया,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक कुछ नहीं पावरग्रिड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को उत्तरी क्षेत्र -1, फरीदाबाद के माध्यम से दिनांक 25.07.2020 को प्राप्त हुआ है | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	ग्राम-तुलसीपुर, ब्लाक शेरगढ़ त० बहेड़ी जि० बरेली, उन पेड़ों के नोटिस की प्रतिलिपि चाहिए जो आपके द्वारा मुआवज़े का चेक देते समय जमा करा लिया गया था | खसरा खतौनी नं० – 66 नोटिस प्रमाणित प्रतिलिपि देने का कष्ट करें |	नोटिस संख्या - 614 की प्रतिलिपि संलग्न है |

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:
श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

धन्यवाद

भवदीय,

[राणा प्रताप]
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

66 अ

पारेषण लाइन, कार्यालय : अखिल हृदयकुंज, रानी पदमावती कालोनी,
मानपुर रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

क्र.सं. 614

पावरग्रिड

पीजी/एनआर-1/टीएल/काशीपुर/क्षतिग्रस्त वृक्ष ... दिनांक ...

श्री/श्रीमती कुसुमलता ... पुत्र श्री w/o सुरेश चन्द्र

ग्राम तुलसीपुर ... पोस्ट पटिया ... तहसील बहेड़ी ... जिला बरेली

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० (भारत सरकार का उपक्रम) उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत 400 के.वी. डबल सर्किट बरेली–काशीपुर पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाईन के दोनो तरफ मध्य से 23 मीटर दूरीके निशानयुक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है काट लिये जाये। इसके लिए विभाग इण्डियन इलैक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट–1948 की धारा 42 के साथ पठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग–3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को काट लें अन्यथा उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात इस विभाग द्वारा काट दिये जायेंगे। ऐसी दशा में लकड़ी की क्षति या किसी अन्य प्रकार की क्षति के लिये विभाग कदापि उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित होने के बाद पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा देय होगा।

वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	लोकेशन नं०	वृक्ष का नाम/प्रजाति	संख्या	वृक्ष की मोटाई (मीटर) सीने की ऊंचाई पर	अन्य विवरण/खरा नं० आदि
	9/0 व 9/1 के बीच	पापुलर	34	35–45	
		"	25	10–20	

कुसुमलता 26/5/15

नोटिस प्राप्त किया : (नाम सहित हस्ताक्षर) [illegible]

कृते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
काशीपुर

प्रतिलिपि :

तहसीलदार ... जिला ... को इस आशय के साथ प्रेषित कि वृक्षों का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व प्रमाणित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे ... मुआवजा दिया जा सके।

उप जि अधिकारी ...

कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उद्यम के हित को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दें। यदि उक्त वृक्ष मालिक निर्धारित अवधि में आप द्वारा विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करें ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रम कार्यवाही स्वंय के स्तर से पूर्ण की जा सके।

रजनीश कुमार

कृते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
काशीपुर